अनतर बनाम ईकबाल

दिनांक	आज्ञा पत्र	
22.7.24	पत्रावली पेश। उभय पक्ष [illegible] व अधिवक्ता पर सुनवाई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 5/8/24 को पेश हो [illegible] भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	सीकर
5/8/24	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 282/2011

1 अनवर पुत्र मंगतू जाति शेख इलाया मुसलमान निवासी कन्टेवा रोड लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

2 जुबेदा पत्नी मोती

3 मुस्लिम पुत्र मोती

4 महबुब पुत्र मोती

5 इलियास पुत्र मोती

6 अकरम उर्फ लाला पुत्र मोती

7 मुबारिक पुत्र मोती

समस्त जाति शेखइलाया मुसलमान निवासीगण वार्ड नम्बर 11 लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

8 मांगीलाल उर्फ मांगूदीन पुत्र याकूब

9 रसीद पुत्र याकूब

10 अबास मृत

10/1 फरजाना पत्नी अबास

10/2 अनिशा पुत्री अबास

10/3 मो. आदिल पुत्र अबास

10/4 मो. फरहाना पुत्र अबास

10/5 नाजिमा पुत्री अबास

10/6 अफसाना पुत्री अबास

समस्त जाति शेखइलाया मुसलमान निवासीगण वार्ड नम्बर 9 लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

11 बिलाल उर्फ लाल मोहम्मद पुत्र अजमल जाति इलायाशेख मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 9 इसलामपुरा मोहल्ला लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

12 वफाती मृत

12/1 सुबेदौलत पत्नी वफाती

12/2 रेहाना पुत्री वफाती

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

12/3 फरजाना पुत्री बफाती
12/4 अफसाना पुत्री बफाती
12/5 वसीम पुत्री बफाती
12/6 नाजीमन पुत्री बफाती
समस्त इलाहीबक्स मुसलमान निवासीगण वार्ड नम्बर 9 कस्या लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।
13 आमीना पत्नी याकूब जाति शेखइलाया मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 9 कस्बा लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 ईकबाल पुत्र हुसैन उर्फ पटेल
2 मैमुना पत्नी स्व. मन्सूर पुत्री हुसैन पटेल
3 मो. अली पुत्र हुसैन पटेल
4 मो. सलीम पुत्र हुसैन पटेल
5 मो. फारूक पुत्र हुसैन पटेल
समस्त जाति व्यापारी मुसलमान निवासीगण जुमा मस्जिद के पास कस्बा लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
6 शाहीद पुत्र मंगतू
7 राशीद पुत्र मंगतू
जति शेखइलाया मुसलमान निवासीगण कन्टेवा रोड लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
8 राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट विरूद्ध
निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर पीठासीन अधिकारी श्री भंवरलाल वर्मा
आरएएस दावा संख्या 68/1984 उनवानी
मोहम्मद इकबाल बनाम गंगतु आदि दिनांकित
21.03.1984

उपस्थिति :

1. श्री फुलचन्द थालौड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सागरमल धायल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांक:– 5.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर द्वारा मुकदमा 68/1984 में पारित निर्णय दिनांक 21.03.1984 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक वाद उद्घोषणा व खाता दुरूस्ती बाबत भूमि खसरा नम्बर 1108, 1109 कस्बा लक्ष्मणगढ़ का पेश किया। विचारण न्यायालय ने वाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ यह अपील प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट संख्या 12/4 का देहान्त हो चुका है। अपीलांट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

द्वारा निर्धारित अवधि में इसके कायम मुकाम प्रस्तुत नहीं किये गये है। रेस्पोडेन्ट द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर अपील अबैट घोषित करने का पेश किया। अपीलांट ने अपीलांट संख्या 12/4 का नाम हजफ करने का आवेदन प्रस्तुत किया। इन आवेदनों पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट संख्या 12/4 का नाम हजफ किया जावें। अपीलांट संख्या 12/4 अफसाना का इंतकाल हो चुका है। एक अपीलांट की मृत्यु पर सम्पूर्ण अपील अबैट नहीं होती है। रेस्पोडेन्ट का अबैटमेंट का आवेदन विधि विरूद्ध होने से खारिज किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट संख्या 12/4 अफसाना की मृत्यु दिनांक 24.12.2023 को हो चुकी है। इसकी पुष्टि सिविल न्यायालय में प्रस्तुत अपीलांट सुबेदौलत आदि के आवेदन की छाया प्रति के अवलोकन से होती है। अपीलांट द्वारा मृत पक्षकार के कायम मुकाम को रिकार्ड पर लेने का आवेदन न तो निर्धारित अवधि में प्रस्तुत किया गया है न ही आदिनांक तक प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अबैट हो चुकी है। अबैटमेंट के आधार पर अपील खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में एआईआर 1963 सुप्रिम कोर्ट पेज 553, एआईआर 1970 पेज 99 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट संख्या 12/4 अफसाना की मृत्यु दिनांक 24.12.2023 को हो चुकी है। इसकी पुष्टि सिविल न्यायालय में प्रस्तुत अपीलांट सुबेदौलत आदि के आवेदन की छाया प्रति के अवलोकन से होती है। अपीलांट द्वारा मृत पक्षकार के कायम मुकाम को रिकार्ड पर लेने का आवेदन न तो निर्धारित अवधि में प्रस्तुत किया गया है

मु.प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न ही आदिनांक तक प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अबैट हो चुकी है।

इस संदर्भ में माननीय सर्वोच्य न्यायालय ने न्यायिक दृष्टांत एआईआर 1963 पेज 553 में अभिनिर्धारित किया है कि **Civil Procedure Code[1908 (CPC) – Order 22, Rule 11 and 3 – Abatement of appeal – Joint decree – Decree of pre-emption not capable of being separated as there can be no partial pre-emption – Death of one of the parties – Failure to bring on record the legal representatives of the deceased – The appeal abates as a whole.**

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अबैटमेंट होने पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 5.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर